मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2002 (चैत्र 26, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, रीवा नगर के अमहिया निवासी दो युवकों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रणवीर सिंह, लक्ष्मण सिंह गौड़, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम भीमपुर में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर चार ग्रामीणों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. सीतासरन शर्मा, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, इंदौर के अपोलो चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही से एक महिला की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री कमल पटेल, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, हरदा में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री मनोहर ऊंटवाल, कमल पटेल, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रतलाम जिले के बड़ावदा नगर में दिन दहाड़े गोली चलाने वाले अपराधी पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, छतरपुर जिले के पिछड़ा समाज के अध्यक्ष की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, उज्जैन के बड़नगर में पेय जल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर नगर स्थित बंद ग्रेसिम कपड़ा मिल को बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पोलाखाल में मकानों में आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) चौधरी राकेश सिंह, श्री हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, धार जिले के लेबड़-नागदा पुल के पथकर ठेके हेतु जमा अमानत राशि वापस न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, गांधी सागर बांध के डूब प्रभावितों को डूब भूमि का पट्टा देने में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर जिले के मारपानी में पांच व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(13) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के देवरी कस्बे में आर्थिक तंगी के कारण एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री सुनील नायक, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में नकल माफियाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, प्रभाकर सिंह, अनूप मिश्रा, सदस्य, शिवपुरी जिले के सिरसोद थानान्तर्गत एक दम्पत्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री सुधाकर बापट, प्रभाकर सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, सागर जिले की खुरई नगर पालिका सी.एम.ओ. पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री लालसिंह, राकेश, सदस्य, भिण्ड नगर में सीवर लाइनों के संधारण में कार्यपालन यंत्री द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री बृजराज सिंह, सदस्य, ग्वालियर दुग्ध संघ के क्षेत्र से अवैध रूप से दुग्ध का अन्य राज्यों में परिवहन एवं अवैध दुग्ध डेरियों का संचालन होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री अहिरवार पर्वतलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत लारौन की सरपंच के पति की हत्या के नामजद अपराधी द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों को भयभीत किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रुद्रप्रताप सिंह, सदस्य, बैतूल जिला मुख्यालय के कोठी बाजार के व्यवसायिक क्षेत्र की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) सर्वश्री धरमू राय, सुधाकर बापट, डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य, सागर जिले के मालथौन विकास खण्ड में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, नीमच जिले की मनासा नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों को सेवा से पृथक किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, सिवनी जिले में अनेक एड्स रोगी पाये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री रुद्रप्रताप सिंह, सदस्य, बैतूल जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी हेतु की गयी खरीदी में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (महिला एवं बाल विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुन्ना सिंह, सदस्य, सागर जिले की पुलिस चौकी लायरा में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल, के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा विधि संकाय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री रमेश अग्रवाल, सदस्य, ग्वालियर संभाग में सीवर लाइन कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के राहतगढ़ नगर स्थित जैन मंदिर से प्राचीन मूर्तियों की चोरी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री करणसिंह वर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम खुदारामपुर में आदिवासियों की फसलें जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, रतलाम जिले में माही नदी के पुल के पास यात्री बस को लूटे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री रसाल सिंह, सदस्य, होशंगाबाद एवं जबलपुर जिले में जेल से कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम परसोटा में एक कृषक का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) रावदेशराज सिंह यादव, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, सदस्य, गुना जिले के मुंगावली में एक व्यक्ति द्वारा गोली से प्राणघातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री रामदास शिवहरे, सदस्य, खंडवा जिले के शाहपुर क्षेत्र में ट्यूबवेल खनन हेतु अनुमति न दिये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम निवसाई में रेत की चोरी के अपराधियों को पुलिस द्वारा संरक्षण दिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के परसोटा ग्राम में नल जल योजना का कार्य पूर्ण न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के राजघाट बांध के विस्थापित कृषकों के व्यवस्थापन संबंधी कार्य न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, मुरैना स्थित कन्सोलिडेट स्टील एण्ड एलाइज लिमिटेड, बानमोर के मजदूरों को राशि का भुगतान न दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जावे."

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मानिक सिंह, सदस्य, सीधी जिले के तहसील मुख्यालय चितरंगी में महाविद्यालय खोले जाने,

(2) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के बिरखड़ी-नौधा मार्ग पर रपटा/पुलिया बनाये जाने,

(3) श्री लीलाधर पुरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के मंधान नदी पर बांध बनाये जाने, तथा

(4) श्री उमेश शुक्ला, सदस्य, -

(क) प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हेतु बी.टी.आई./बी.एड. प्रशिक्षित योग्यता अनिवार्य किये जाने, एवं

(ख) छतरपुर जिले के ग्राम बृजपुर में हाईस्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वक्तव्य

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री के.पी. सिंह, ग्रामोद्योग मंत्री, दिनांक 19 नवम्बर, 2001 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्रमांक-2531) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सदन दिनांक 16 अप्रैल, 2002 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करे."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि.

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 11 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(2) श्री धनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 12 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 15 अप्रैल, 2002